राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्याः 685 / 2017.. जिलाः हनुमानगढ
मैसर्स नवदुर्गा इण्डस्ट्रीज, हनुमानगढ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,विशेष वृत,बीकानेर व अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.05.2017	**खण्डपीठ** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री वी.के.पारीक,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर,बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2017, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, हनुमानगढ (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.07.2016 के द्वारा कायम की गयी मांग राशि रू. 12,92,000 / – की वसूली पर रोक लगाने हेतु आवेदन किया गया है, जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। उभय पक्षीय की बहस सुनी गयी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। रेकार्ड एवं उभय पक्ष की ओर से की गई बहस से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रकरण में विवादित विधिक बिन्दु के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई विशेष अनुमति याचिका सुनवाई हेतु ग्रहण कर ली गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलीय अधिकारी के आदेश में वसूली योग्य विवादित राशि रू. 12,92,000 / –के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequote Security) पेश करने की शर्त पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 6 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा । (मदन लाल मालवीय) सदस्य (के.एल.जैन) सदस्य	